संख्या- /2016/ /पांच-6-16-16(नि0)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अलीगढ़ व आगरा के 02 सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9308/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 20.07.16 व शासनादेश संख्या-69/2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14, दिनांक 10.10.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामु0स्वा0केन्द्र, गंगेरी अलीगढ़ व सामु0स्वा0केन्द्र, खन्दौली आगरा के भवन निर्माण हेतु उक्त शासनादेश 10.10.14 द्वारा प्रति सामु0स्वा0केन्द्र रू0-374.14 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त सामु0स्वा0केन्द्रों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु क्रमश: रू0-545.58 लाख व रू0-520.88 लाख की पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त मूल्यांकित लागत के आधार पर सामु0स्वा0केन्द्र, गंगेरी अलीगढ़ व सामु0स्वा0केन्द्र, खन्दौली आगरा के भवन निर्माण हेतु क्रमश: रू0-545.58 लाख (रूपया पॉच करोड़ पैंतालिस लाख अटठावन हजार मात्र) व रू0-520.88 लाख (रूपया पॉच करोड़ बीस लाख अटठासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-69/2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14, दिनांक 10.10.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसें-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) सामु0स्वा0केन्द्र गंगेरी, अलीगढ़ की पुनरीक्षित प्रायोजनाओं में मिटटी भराई हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण मिटटी भराई 4261.17 घ0मी0 हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-13.20 लाख अनुमन्य की गयी है।

(10) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जिनकी कार्य दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(11) उपर्युक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(13) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(14) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(15) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(17) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(18) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-69/2159(3)/पॉच-6-14-10(नि0)/14, दिनांक 10.10.14 की यथावत रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-वित्त ई.-3-1321/दस-16, दिनांक 09 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

**संख्या-244 /2016/2365 (1)/पॉच-6-16 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अलीगढ़/आगरा ।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़/आगरा ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अलीगढ़/आगरा ।
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव